Place	No. of employees
Akbarpar (includig Tanda)	800
Bahojou	500
Bamrauli (Centre Allahabad)	2,250
Bhadoi	900
Etamadpur	800
Faizabad (including Sohawal)	800
Fatehganj	1,400
Gorakhpur	1,650
Haldwani	900
Hardwar	6,350
Lohata (Centre Varanasi)	500
Makhanpur	1,100
Najibabad	750
Putlighar	900
Rishikesh	2,650
Sardar Nagar	500

(b) The Employees' State Insurance Scheme is proposed to be implemented in all Centres having an insurable population of 500 and above during the Fourth Five Year Plan. The Scheme is yet to be implemented in the above Centres which have an insurable population of 500 and above.

(c) On a rough estimate, the annual recurring expenditure on providing medical care to the insured persons and their families, is expected to be Rs. 11 lakhs.

(d) As at (a) above.

SUGAR REQUIREMENTS OF STATES

726. SHRI GADILINGANA GOWD: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the quantity of total sugar requirements of the States of Uttar Pradesh, Bihar, Haryana during the year 1967-68;

(b) the names of sugar mills functioning in these States and the period for which they functioned during the above period and the quantity of sugar produced by these mills; and

(c) the quantity of sugar exported from these States during 1967-68 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Controlled sugar is allotted to States according to availability. However, the monthly quota of controlled sugar required by the States of Uttar Pradesh, Bihar and Haryana was as under :—

	Date of communication	Monthly quota required (tonnes)
Uttar Pradesh	13-3-68	15,603
	8-8-68	21,000
Bihar	1-3-68	6,832
Haryana	13-6-68	3,294

(b) A statement showing the names of the sugar mills in the States of Uttar Pradesh, Bihar and Haryana, their dates of start and closure, and the quantity of sugar produced by them in 1967-68 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2111/68].

(c) No sugar from these States was exported outside India. The quantity of sugar despatched from these States to other States during the period October, 1967, to September, 1968, was as under :—

	(lakhs tonnes)
From Uttar Pradesh	5·83
From Bihar	0·62
From Haryana	0·20

इटावा में अछालदाह स्थित कौशलपुरी फार्म

727. **श्री रामगोपाल शालवाले:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 22 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5090 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने तत्कालीन जिला अधिकारियों को कोई ऐसे आदेश दिए थे कि वे अछालदाह (इटावा) के निकट भूमिहीन हरिजनों द्वारा 1949–50 में स्थापित किए गए कौशलपुरी फार्म को जबर्दस्ती कब्जे में ले लें और समिति के सदस्य तथा मैनेजर को जेल भेज दें और सम्पत्ति को जब्त कर लें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ग) अधिकारियों ने कौशलपुरी सहकारी समिति के सदस्यों और मैनेजर के विरुद्ध कितने मुकदमें दायर किए और उन पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धन राशि व्यय की गई है और क्या इसे व्यय करने का उचित प्राधिकार प्राप्त था; और

(घ) क्या न्यायालय द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों पर किए गए आक्षेपों को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इटावा के जिला अधिकारियों द्वारा संचार संदेशों पर व्यय

728. **श्री रामगोपाल शालवाले** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2 सितम्बर से 14 सितम्बर, 1968 तक इटावा के जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट द्वारा लखनऊ के लिए कितनी ट्रंक काल, तार तथा वायरलैस सन्देश बुक कराए गए और वे किन-किन स्थानों तथा अधिकारियों के लिए बुक किए गए;

(ख) भाग (क) में उल्लिखित अधिकारियों को गृह सचिव, मुख्य सचिव तथा इन्सपैक्टर जनरल पुलिस, लखनऊ से कितनी ट्रंक काल, तार तथा वायरलैस सन्देश प्राप्त हुए; और

(ग) उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

संसद् कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ग). भारतीय तार अधिनियम की धारा 26 को मद्देनजर रखते जनहित की दृष्टि से इस सूचना को सभा-पटल पर रखना उचित नहीं होगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के सुरक्षित पद

729. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** 7 मार्च, 1968 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रादेशिक कार्यालय में खाली पड़े अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित द्वितीय श्रेणी के 4 पद तथा तृतीय श्रेणी के 212 पद न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में निगम के अधिकारियों ने पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद से काम लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस दुराचार की अब तक जांच न कराए जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) उक्त पदों पर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की कब तक नियुक्ति की जाएगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी): (क) अनुसूचित जातियों के उपयुक्त योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना।

(ख) इस मामले में पक्षपात और भाई-भतीजावाद के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि निगम में द्वितीय श्रेणी के पदों की भर्ती संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा की जाती है और तृतीय श्रेणी के अधिकांश पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अनुसूचित जातियों के उपयुक्त योग्यता-प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध होने पर।

LAND REFORMS IN VARIOUS STATES

730. SHRI K. SURYANARAYANA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the States which have introduced land reforms till the 15th August, 1968 and the ceiling limits fixed on holdings by an individual as also the land in acres taken over by the respective State Governments and distributed so far to the land less poor people from those surplus lands;

(b) whether State Governments have formed any Joint Co-operatives/Collec-